प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा दिनाँक 30.08.2023

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 355/21 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 28-08-2021 को थाना खेकड़ा पुलिस को सूचना मिली कि एक गाडी स्वराज महिन्द्रा नं0 DL-1LT-0150 बागपत की ओर से आ रही है, जिसके अन्दर अबैध शराब की पेटियाँ हैं, जो ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद की तरफ जायेगी । सूचना पर तत्काल थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा गाड़ी को पकड़ा गया, जिसमें अभियुक्त मौके से फरार हो गया । इस सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 355/21धारा 63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 355/21धारा 63/72 आबकारी अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

सोहन लाल पुत्र सुखलाल निवासी कस्बा कलीनगर माधोटाण्डा थाना जाफराबाद जनपद पीलीभीत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना खेकडा।

2-है0का0 442 आफाक थाना खेकडा।

3-है0का0 292 सिराज खान थाना खेकड़ा।

4-है0का0 14 प्रशान्त तालान थाना खेकड़ा।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक 30-08-2023

थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

राशिद पुत्र इमामुद्दीन निवासी मौ0 किदवईनगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना बड़ौत जनपद बागपत।

2-है0का0 542 अशोक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

3-है0का0 430 कुलदीप मौरल थाना बडौत जनपद बागपत।

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत पोक्सो एक्ट/हत्या के चिन्हित मुकदमे में आरोपी समुन्दर को पुलिस मॉनिटरिंग सैल और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ आजीवन कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि अभियुक्त समुन्दर पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ग्राम वड़ावद थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा वर्ष- 2013 में नाबालिग लडकी से दुष्कर्म कर हत्या करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0- 254/13 धारा 376ए/302 भादवि व 4/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था। उक्त अभियोग को श्रीमान डीजीपी महोदय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत सजा कराने हेतु चिन्हित किया गया था, इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल व अभियोजन पक्ष द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 30.08.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त समुन्दर को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा 376ए भादवि व 4 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 201 भादवि में 03 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की बड़ी सफलता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice